शुगर मिलों को इंटरेस्ट फ्री लोन का रास्ता साफ

CCEA ने इंडस्ट्री को ₹6,600 करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर-तरीकों को मंजूरी दी

[पीटीआई | नई दिल्ली]

केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त शुगर इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गुरुवार को बैंकों के जरिए इंडस्ट्री को दिए जाने वाले 6,600 करोड़ रुपये के इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर-तरीकों को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए इस लोन को मंजूरी दी है। एक हफ्ते पहले इकनॉमिक अफेयर्स पर कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने शुगर मिलों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। सीसीईए ने फूड मिनिस्ट्री से इस संबंध में गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने को कहा था।

गुरुवार को हुई मीटिंग के बाद फूड मिनिस्टर केवी थॉमस ने बताया कि सीसीईए ने शुगर इंडस्ट्री को इंटरेस्ट फ्री लोन देने के तौर-तरीकों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि अगले पांच साल में करीब 6,600 करोड़ रुपये के लोन पर इंटरेस्ट 2,750 करोड़ रुपये होगा, शुगर डिवेलपमेंट फंड (एसडीएफ) के जरिए सरकार यह बोझ उठाएगी। लोन का डिस्बर्समेंट एक अलग बैंक अकाउंट के जरिए किया जाएगा, जिससे फंड का इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके और इस पर निगरानी भी रखी जा सके। थॉमस ने बताया कि लेंडिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री बैंकों को जरूरी दिशा-निर्देश देगी और इस मकसद के लिए नोडल बैंक की भी नियुक्ति करेगी। सीसीईए द्वारा मंजूर की गई गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक चीनी मिलों को गन्ना किसानों का बकाया और एरियर्स के भुगतान करने के लिए लोन देंगे। यह लोन पिछले 3 वर्षों में मिलों की ओर से चीनी पर दी गई एक्साइज ड्यूटी, सेस और सरचार्ज के बराबर होगा।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, चीनी मिलों को 5 वर्षों में लोन चुकाना होगा और वे शुरुआती 2 साल में रीपेमेंट पर मॉरटोरियम बेनेफिट ले सकती हैं। प्रिंसिपल रीपेमेंट पर डिफॉल्ट पीरियड के दौरान कोई इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं दी गई है।

लोन केवल उन्हीं चीनी मिलों को दिया जाएगा, जो कि 2013-14 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान काम कर रही हैं। थॉमस ने बताया कि लेंडिंग बैंकों की ओर से 30 जून 2014 तक सैंक्शन होने वाले सभी लोन्स, जिनका डिस्बर्समेंट 30 सितंबर 2014 तक हो जाएगा, वह इस नोटिफिकेशन के अनुरूप इंटरेस्ट सबवेंशन फैसिलिटी के तहत कवर्ड होंगे। लेंडिंग कई नॉर्म्स पर निर्भर करेगी जिसमें स्क्रूटनी, पांच साल के लिए फ्यूचर कैश फ्लो, डेट सर्विसिंग कैपेसिटी और कंडक्ट ऑफ लोन शामिल है।

The Economic Times
27-12-13.